मुद्रा प्रबंध से संबंधित खुदरा कार्य का भारतीय रिज़र्व बैंक से वाणिज्यिक बैंकों को अंतरित करने संबंधी नीति के कार्यान्वयन के कारण बैंकनोटों और सिक्कों से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता और पद्धतियों में बदलाव होगा। उपर्युक्त को समाहित करने के लिए नागरिकों के अधिकार में उचित रूप से संशोधन किया जा रहा है।